छत्तीसगढ़ विधानसभा
पत्रक भाग-एक
संक्षिप्त कार्य विवरण
सोमवार, दिनांक 28 फरवरी, 2011
(फाल्गुन-9, शक संवत् 1932)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 04, 06 से 12 एवं 14 से 15 (कुल 13) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए।

प्रश्न संख्या 05 एवं 13 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य क्रमशः श्री नंदकुमार पटेल एवं डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी अनुपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 22 तारांकित एवं 33 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य ने कबीरधाम जिले में समन्वित कार्ययोजना अंतर्गत प्राप्त राशि का दुरूपयोग किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री ननकीराम कंवर, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री बदरूद्दीन कुरैशी, श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, श्री भजन सिंह निरंकारी, सदस्य ने भिलाई नगर की वृहद पेयजल योजना का कार्य पूर्ण नहीं किये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री केदार कश्यप, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

3. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री सौरभ सिंह

(2) श्री अमरजीत भगत

(3) श्री नंदकुमार पटेल

(4) डॉ.सुभाऊ कश्यप

(5) श्री खेदूराम साहू

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री चैतराम साहू, सदस्य ने भाटापारा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत-

(i) ग्राम धनेली से पाटन-खैरा तक मार्ग का डब्ल्यू.बी.एम. एवं डामरीकरण करने,

(ii) ग्राम बनसांकरा से खैरखुट-मांढ़र मार्ग का डामरीकरण करने,

(iii) ग्राम गोगिया से चमारी मार्ग का डब्ल्यू.बी.एम. एवं डामरीकरण करने के संबंध में,

(2) श्री विरेन्द्र कुमार साहू, सदस्य ने गुण्डरदेही विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत-

(i) ग्राम मटिया (ह) में पूर्व माध्यमिक शाला खोलने,

(ii) ग्राम मटेवा में पूर्व माध्यमिक शाला खोलने,

(iii) ग्राम रजोली में कन्या हाई स्कूल खोलने के संबंध में,

(3) श्री राजकमल सिंघानिया, सदस्य ने कसडोल विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत-

(i) ग्राम सुकदा में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने,

(ii) ग्राम डोंगरा में संचालित प्राथमिक शाला हेतु नवीन स्कूल भवन निर्माण करने,

(iii) ग्राम डोगरीडीह से परसापाली पहुंच मार्ग निर्माण करने,

(iv) ग्राम अर्जुनी (ब) में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने, तथा

(v) ग्राम छेरकाडीह से जारा पहुंच मार्ग निर्माण करने के संबंध में,

याचिकाएं प्रस्तुत की।

5. नियम 139 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति।

श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की ।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लियाः-
सर्वश्री विरेन्द्र कुमार साहू, धर्मजीत सिंह

(1.30 से 3.01 बजे तक अंतराल)

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री डोमनलाल कोर्सेवाड़ा, लखमा कवासी, फूलचंद सिंह, रामदयाल उइके, कुलदीप सिंह जुनेजा, डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी, सर्वश्री टी.एस.सिंहदेव, सौरभ सिंह, भजन सिंह निरंकारी, खेदूराम साहू, श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी, श्री अमरजीत भगत, श्रीमती अंबिका मरकाम।

श्री ननकीराम कंवर, गृह मंत्री ने चर्चा का उत्तर देना प्रारंभ किया।

(माननीय सभापति ने सदन की सहमति से माननीय मंत्री का उत्तर पूर्ण होने तक
सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

श्री ननकीराम कंवर, गृह मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

सायं 5.40 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनाँक 1 मार्च, 2011 (फाल्गुन 10, शक संवत् 1932) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा